न्यायालय अपर जिला कलक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारीः– उम्मेदीलाल मीणा आर.ए.एस.

अपील सं. 18 / 2024
स्टेट जरिये प्रवर्तन अधिकारी हनुमानगढ

प्रार्थी

बनाम

श्री मांगीलाल पुत्र श्री रूपराम बीकानेर वैष्णो भोजनालय होटल संगरिया – चौटाला बाईपास रोड, तह. संगरिया जिला हनुमानगढ़

अप्रार्थी

मुकदमा अन्तर्गत धारा 6 ए ई0सी एक्ट

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज0)

उपस्थितः–1 श्री शिवराज सिंह बराड़ राजकीय अधि0।
2 श्री रविन्द्र जौल अभिभाषक अप्रार्थी।

–:निर्णयः–

दिनांकः –22.01.2025

राजस्थान राज्य जरिये प्रवर्तन अधिकारी हनुमानगढ द्वारा यह प्रकरण प्रस्तुत किया गया। जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 20.09.2024 को श्री बाबूलाल जानू प्रवर्तन अधिकारी, जिला रसद कार्यालय, हनुमानगढ़ हमराह श्री पुरूषोत्तम प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा घरेलू गैस के व्यावसायिक उपयोग की जांच बाबत् संगरिया – चौटाला बाईपास रोड़ संगरिया में बीकानेर वैष्णो भोजनालय होटल पर पहुंच कर जांच की गई। मौके पर उपस्थित श्री मांगीलाल पुत्र श्री रूपराम ने स्वयं को उक्त होटल का मालिक बताया तथा मौके पर उपस्थित रहकर जांच करवायी। जांच के दौरान दो घरेलू गैस सिलेण्डर बर्नर से जुडे पाये गये तथा चालू हालत में पाये गये। पूछताछ में बताया कि मिठाई तैयार कर विक्रय की जाती है तथा विक्रय की गई सामग्री का मूल्य वसूल किया जाता है। इस प्रकार घरेलू गैस का व्यावसायिक उपयोग करना पाया गया जो कि द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (रेग्युलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश, 2000 के क्लॉज 3 (1) (ग) का उल्लंघन पाया गया जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध है । अतः मौके पर पाये गये इण्डेन कम्पनी के 2 घरेलू गैस सिलेण्डर जब्त किये गये तथा उक्त जब्तशुदा सिलेण्डर श्री मनीराम प्रबंधक, प्रिया श्री गैस एजेंसी, संगरिया की सुपुर्दगी में दिये गये। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त 2 घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात करने के आदेश फरमावें तथा विस्फोटक सामग्री होने के कारण अन्तरिम निस्तारण के आदेश फरमाने का श्रम करावें ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Umedi Lal Mina
Date: 2025.02.24 19:03:59 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण प्रस्तुत होने पर [illegible] अप्रार्थी को धारा 6बी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी जरिये अभिभाषक उपस्थित आये।

अप्रार्थी ने जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किये कि [illegible] एक सिलेण्डर जो घरेलू उपभोग के लिए आया गया था जो कम्पनी से गैस भरवाकर रखा था एंव दुसरा सिलेण्डर भी गैस भरवाने के लिए लाया था। दोनो सिलेण्डर दौराने

अपर जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़

जांच प्रार्थी की दुकान से जब्त किये गये गये हे जबकि प्रार्थी नाथवांना गांव का रहने वाला है। गांव में सर्विस देरी ना होने के कारण प्रार्थी ने कम्पनी से सीधा सम्पर्क कर एक सिलेण्डर भरवा लिया था। दुसरा भरवाना था और दोनो सिलेण्डर घरेलू उपभोग के लिए घर लेकर जाने थे। इसी दौरान जांच होने पर दोनो सिलेण्डर जब्त फरमाये गये है। जो कि विधि विरूद्व है। प्रार्थी को घरेलू उपभोग के लिए अपने उक्त दोनो सिलेण्डरो की अति आवश्यकता है। प्रार्थी का कोई दुरआशय नही था प्रार्थी सद्‌भावी है। अंतः प्रार्थना पत्र बाबत सुपुदर्गी पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी को उसके जब्तशुदा इण्डेन कम्पनी के दोनो सिलेण्डर एक भरा हुआ व एक खाली लौटाये जाने के आदेश फरमावे।

राजकीय अभिभाषक ने एकपक्षीय बहस में कथन किया है कि प्रवर्तन अधिकारी हनुमानगढ द्वारा मौके पर पाये गये इण्डेन **कम्पनी** के 2 घरेलू गैस सिलेण्डर जब्त किया गया है। प्रकार घरेलू गैस का व्यावसायिक उपयोग करना पाया गया जो कि द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (रेग्युलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश, 2000 के क्लॉज 3 (1) (ग) का उल्लंघन पाया गया जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध है। इसलिए जब्तशुदा घरेलू गैस सिलेण्डर राजसात किया जाये।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया कि:–

1. स्टेट जरिये प्रवर्तन अधिकारी हनुमानगढ द्वारा इण्डेन **कम्पनी** का 2 घरेलू गैस सिलेण्डर जब्त किया गया है। प्रकार घरेलू गैस का व्यावसायिक उपयोग करना पाया गया।
2. अप्रार्थी द्वारा जांच अधिकारी को वरवक्त निरीक्षण मौके पर अप्रार्थी के पास वैद्य दस्तावेज, लाईसेंस परमिट आदि नहीं होना तथा वाणिज्यिक परिसर से दौराने जब्ती लाइसेन्स के अभाव में द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (रेग्युलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश, 2000 के क्लॉज 3 (1) (ग) का उल्लंघन है। जिसके लिए अप्रार्थी अवैध भण्डारण व कारोबार का दोषी है।

अतः इण्डेन **कम्पनी** का 2 घरेलू गैस सिलेण्डर जब्त किया गया है, को राज्य के पक्ष में राजसात (Confiscate) किया जाता है।

जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ को निर्देशित किया जाता है कि निस्तारण से प्राप्त राशि को राज्य के राजकोष में जमा कर चालान नम्बर व दिनांक सहित पालना रिपोर्ट 15 दिवस में इस न्यायालय को प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 22.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Umedi Lal Mina
Date: 2025.02.24 19:03:59 IST
Reason: SelfAttested

(उम्मेदीलाल मीना)
अपर जिला कलक्टर एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ